न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या 121/2022 दायर दिनॉक 13.04.2022

वादी

1. बहादुर खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद,
2. लियाकत उर्फ ल्याकत पुत्र फतेह मोहम्मद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। *निवासी - बेरी ख़ुर्द*

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गफार खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद,
2. उष्मान खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद,
3. रहमान खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद, समस्त जाति कायमखानी, निवासीगण छोटी बेरी, तहसील डीडवाना नागौर
4. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।
2. मोहम्मद रफिक एडवाकेट प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक **31.05.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 2197/934 रकबा 0.0719 हैक्टर वाके मौलासर स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान में स्वर्गीय किसनाराम पुत्र भोमाराम, जाति जाट, निवासी मौलासर के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त खेत के पूर्व में खसरा संख्या 360 थे, जिसमें से 10 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र मृतक किसनाराम ने क्रय कर 10 बिस्वा की खातेदारी अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा ली, तथा इस 10 बिस्वा भूमि अर्थात 809 वर्ग मीटर भूमि का संपरिवर्तन आवासीय प्रयोजनार्थ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के न्यायालय से दिनॉक 27.06.1995 को अपने नाम से करवा ली आदेश की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त 10 बिस्वा अर्थात 809 वर्ग मीटर आवासीय भूमि का बेचाण किसनाराम ने वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 को जरिये ईकरारनामा के दिनॉक 26.09.1995 के द्वारा 70000/रूपये प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके [illegible] संभला दिया, तथा ईकरारनामा नोटेरी द्वारा तस्दीक करवा दिया [illegible] वाद के साथ पेश हैं। उक्त 10 बिस्वा अर्थात 809 वर्ग मी[illegible] भूमि में से हाल ही में 1 बिस्वा भूमि अर्थात 81 मीटर रास्ते के रूप में राज[illegible]कर्ड में दर्ज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

गयी, तथा वर्तमान में नये खसरा संख्या 2197/934 रकबा 0.719 हैक्टर अर्थात 9 बिस्वा भूमि शेष रह गयी है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में स्वर्गीय किसनाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, लेकिन किसनाराम की मृत्यु दिनॉक 28.12.2015 को हो चुकी है, लेकिन उसका नाम खातेदारी में दर्ज है, उक्त खातेदारी में से मृतक का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 की खातेदारी घोषित की जानी कानूनन जरूरी है। जिसके की वादीगण जायज अधिकारी है। अतः वादीगण को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 सगे भाई है, तथा सभी का हित एक समान है, एक दुसरे के खिलाफ नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के शकुनत पर हाजिर नहीं होने से उन्हे प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 04 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, अधिवक्ता वादी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

(क) रामदेव व अन्य बनाम माला व अन्य आर आर डी पेज नम्बर 102-2010

(ख) गुरदयाल सिंह व अन्य बनाम कोर सिंह व अन्य आर आर डी 2011 के पेज नम्बर 813

(ग) धन सिंह बनाम गीलासे व अन्य आर आर डी 2009 पेज नम्बर 252

अतः पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] का [illegible] किया गया। न्यायिक द्रष्टान्तो का अध्ययन किया, तत्सम्बन्धी विधि [illegible] अध्[illegible] किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

—: आदेश :—

वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौलासर के वर्तमान खसरा संख्या 2197/934 रकबा 0.0719 हैक्टर वाके मौलासर की खातेदारी में से मृतक किसनाराम का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **31.05.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या 121/2022 दायर दिनॉक 13.04.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. बहादुर खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद, 2. लियात उर्फ ल्याकत पुत्र फतेह मोहम्मद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. गफार खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद, 2. उष्मान खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद, 3. रहमान खॉ पुत्र फतेह मोहम्मद, समस्त जाति कायमखानी, निवासीगण छोटी बेरी, तहसील डीडवाना नागौर 4. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनॉंक **31.05.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण व मोहम्मद रफिक एडवाकेट प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौलासर के वर्तमान खसरा संख्या 2197/934 रकबा 0.0719 हैक्टर वाके मौलासर की खातेदारी में से मृतक किसनाराम का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो।
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **31.05.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीकेन को डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner